न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 116/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गटू उर्फ तुलसी पुत्री सुरताजी जाति भील, निवासी डकातरा हाल पत्नी मफाजी, जाति भील, निवासी डॉगरा,तह. जालोर, जिला जालोर (राज.)		1 घेवाराम वल्द गणेशाजी,जाति भील, निवासी डकातरा, तहसील जालोर 2 हरीराम वल्द खेताजी,जाति भील, निवासी बैरठ,तहसील जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश ए.आर.ओ.पार्टी नं. 3 जोधपुर दिनांक 20.11.1992(ना.क.सं.709)

उपस्थिति :–
1.श्री नैनसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री चुन्नीलाल पुरोहित,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20.4.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा डकातरा में खातेदारी आराजी खसरा नंबर 471/195 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा अपीलाण्ट के पिता सुरता पुत्र कोला भील,निवासी डकातरा की खातेदारी की थी तथा पुराने खसरा नंबर 428 रकबा 27 बीघा 14 विस्सा अपीलांट के पिता सूरता व उनके सगे भाई सदा, तारीया, गणेशा पिसरान कोलीया की खातेदारी की थी जिसमे 1/4 हिस्सा कानूनी अपीलांट के पिता सुरताजी का था जो भूमि एकीकरण की मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी नकल संवत 2045 से 2048 द्वारा साबित है। पूराने खसरा नंबर 471/195 के नवीन सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 459 व 460 बने है। तथा पुराने ख्सरा नंबर 428 के नवीन सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 1006, 1007, 1008 बने है। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 25.12.1990 को हुई थी,अपीलांट की माता की मृत्यु इससे पुर्व हो चुकी थी, सुरताजी के जायन्दा पुत्री अपीलांट ही थी,जो उनकी मृत्यु के समय कानूनी उनकी उतराधिकारी वारिसान् थी जिनके नाम म्युटेशन भरा जाना था, मगर अपीलांट के सगे काका गणेशा

के लडके रेस्पोडेंट संख्या 1–घेवाराम ने गलत ढंग से स्वयं को सुरताजी का लडका बता कर सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के यहा दरख्वास्त पेश की तथा ग्राम पंचायत से झूठा प्रमाण पत्र लेकर, उक्त जमीन का म्युटेशन नंबर 709 अपने नाम दिनांक 20.11.199 को स्वीकृत करवा दिया । ए.आर.ओ. पार्टी नंबर 3 का बी फॉर्म नम्बर 24 पर तारीख 20.11.1992 को दिया गया आदेश प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। यह आदेश दिनांक 20.11.1992 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध गैर कानूनी व अवैध होने से काबिल खारिज है। घेवाराम गणेशारामजी का जायन्दा पुत्र है,उक्त तथ्य ग्राम पंचायत डकातरा की निर्वाचक नामावली सन 2004 से स्पष्ट है जहॉ वार्ड नंबर 2 में कम संख्या 256 पर घेवाराम पुत्र गणेशा दर्ज है। उक्त घेवाराम को पहले घेवा पुत्र गणीया बोला जाता था जो सन 1994 की निर्वाचक नामावली में कम संख्या 172 पर उसका नाम दर्ज है तथा उसकी पत्नी का नाम मोवन दर्ज है। अपीलान्ट सुरताजी की जायन्दा पुत्री होने के सम्बन्ध में कार्यालय ग्राम पंचायत बाकरारोड का प्रमाण पत्र कमांक 1524 दिनांक 5.12.2015 सबूत के रूप में पेश किया है। घेवाराम ने खसरा नंबर 459 व 460 रकबा 0.75 हेक्टर भूमि म्युटेशन नंबर 709 के द्वारा अपने नाम गलत दर्जे होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं.2–हरीराम पुत्र खेताजी भील निवासी बैरठ को बेचान कर दी जो बेचान एब–इनइश्यो वोईड है। तथा उसके आधार पर म्युटेशन अपील संख्या 662 भी जो तारीख 25.8.2011 को स्वीकृत किया गया है वो अपने आप में वोईड है। रेस्पोडेन्ट घेवाराम द्वारा की गई कार्यवाही का अपीलांट को कतई पता नही लगा। अपीलांट ने खातेदारी की नकले पटवारी हल्का से दिनांक 20.11.2015 को मांगी तथा अपीलांट को जमाबंदी की नकले मिली, तब अपीलांट को गलत खातेदारी दर्ज होने का ज्ञान हुआ। जिस पर पता लगाने पर उक्त म्युटेशनसं. 709 व 662 का स्वीकृत होने का ज्ञान हुआ जिसकी नकले दिनांक 23.11.2015 को मांगी जो तारीख 26.11.2015 को प्राप्त हुई ,म्युटेशन का ईलम होने की तारीख 20.11.2015 से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर एआरओ पार्टी नंबर 03 का आदेश 20.11.1992(म्युटेशन नंबर 709)पर दिया गया स्वीकृति आदेश को निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं.709 आदि की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा डकातरा के खसरा नम्बर 471/195 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा अपीलांट के पिता सूरता पुत्र कोला की खातेदारी की थी। खसरा नम्बर 48 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी सुरता व उनके सगे भाई सदा, तारीया,गणेशा पिसरान् कोलीया की थी जिसमें से 1/4 हिस्सा अपीलांट के पिता सूरता का था। खसरा नम्बर 471/195 के नवीन सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 459व 460 बने तथा खसरा नम्बर 428 के नये सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1006,1007,1008 बने है। अपीलांट के पिता सूरता की मृत्यु दिनांक 25.12.1990 को हुई थी, अपीलांट की माता इससे पूर्व फौत हो चुकी थी। सुरताजी के कोई जायन्दा पुत्र सन्तान नही थी, उनके एकमात्र अपीलांट जायन्दा पुत्री थी जिनके नाम म्युटेशन सं.709 भरा जाना था मगर उसके सगे काका के लडके रेस्पोडेन्ट सं.1–घेवाराम ने सूरताजी का लडका बताकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर से म्युटेशन सं. 709 अपने नाम स्वीकृत करवा दिया। घेवाराम जो गणेशाजी का जायन्दा पुत्र होना ग्राम पंचायत डकातरा की निर्वाचक नामावली सन् 2004 से स्पष्ट है ,क्रम सं. 256–पर घेवाराम पुत्र गणेशा दर्ज है। सन् 1994 में निर्वाचक नामावली के क्रम सं. 172पर गेवा पुत्र गणीया दर्ज है जिससे स्पष्ट हैं कि घेवाराम पुत्र सुरताजी का पुत्र नही होकर गणेशारामजी का पुत्र है। खसरा नम्बर 459 व 460 रकबा 0.75 हेक्टर अपने नाम गलत दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं.2–हरीराम को बैचान कर दी। अपीलांट ने पटवारी हल्का से नकले दिनांक 20.11.15 को जमाबंदी नकल मांगने पर मिली तब ज्ञान होने पर दिनांक 23.11.15 को म्युटेशन सं. 709 आदि की नकले मांगी जो दिनांक 26.11.15 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर ए.आर.ओ. पार्टी नं. 3 जोधपुर का आदेश दिनांक 20.11. 1992 (म्युटेशन सं. 709) निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.2 के वकील ने बताया कि ए.आर.ओ. के आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही आती है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 1992 की अपील दिनांक 18.12.15 को पेश की गई है जो म्याद बाहर है तथा जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नही होता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा डकातरा के

खसरा नम्बर 471/195 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा अपीलांट के पिता सूरता पुत्र कोला की खातेदारी व खसरा नम्बर 48 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा में अपीलांट के पिता सूरता की खातेदारी में 1/4 हिस्सा था। खसरा नम्बर 471/195 के नवीन सेटलगेन्ट में नये खसरा नम्बर 459व 460 बने तथा खसरा नम्बर 428 के नये सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 1006,1007,1008 बने है ,जिसमें से रेस्पोडेन्ट सं. 1–घेवा ने सूरता का उत्तराधिकारी बताकर सूरता की खातेदारी से सबंधित नामान्तरकरण सं. 709 दिनांक 20.11.92 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, पार्टी नं.3 से अपने नाम स्वीकृत करवाया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है। सूरता की पत्नि का मृत्यु प्रमाणपत्र हमारे समक्ष पेश नही होने से मालूम नही पडता है कि सूरता की पत्नि,सूरता की मृत्यु के बाद फौत हुई या पहले फौत हुई? यह सही हैं कि सूरता की एकमात्र पुत्री गटू उर्फ तुलसी (अपीलांट)है। घेवा जो सूरता का पुत्र नही होकर गणेशा का पुत्र होना प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर सूरता के घेवा गोद भी गया हो तो उसका गोदनामा भी रैकार्ड पर प्रस्तुत होता लेकिन ऐसा नही है। सूरता के कोई पुत्र नही होने से उसकी एकमात्र पुत्री गटू उर्फ तुलसी (अपीलांट) होना जाहिर होता है। सूरता व उसकी पत्नि पूर्व में फौत हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट सं.1–घेवाराम जो गणेशा का पुत्र है,ने अपने को सूरता का पुत्र बताकर ए.आर.ओ. जोधपुर से अपने नाम म्युटेशन सं. 709 गलत स्वीकृत कराया है जो पंचायत समिति की निर्वाचक नामावली वर्ष 2004 के भाग सं. 2,गांव डकातरा के कम सं. 256,257 पर कमशः घेवाराम /गणेशाराम व मोवनीदेवी /घेवाराम व इसी प्रकार वर्ष 1994 में कम सं. 172,173 कमशः गेवा/गणीया,मोवन/गेवा से स्पष्ट है। चूंकि सूरता व उसकी पत्नि पूर्व में फौत हो चुकी है तथा सूरता की एकमात्र अपीलांट ही जीवित है तो सूरता के वारिसान् में रेस्पोडेन्ट सं.1–घेवा पुत्र गणेशा को सूरता का वारिसान् मानना उचित नही है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में आती है। अपीलांट ने आदेश दिनांक 1992 की अपील दिनांक 18.12.15 को अवश्य पेश की गई है लेकिन डिले कन्डोन हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र भी अपीलांट ने पेश किया है। चूंकि स्व.सूरता के एकमात्र पुत्री अपीलांट होने से अपीलांट को छोडकर अलावा किसी अन्य के नाम यानि काका के लडके के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करना उचित नही कहा जा सकता। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर का आदेश दिनांक 20.11.1992 (ना.क.सं.709) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि स्व.सूरता के विधिक वारिसान् के सबंध में विस्तृत व गहनता से जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर, बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 20.4.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर